संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, व्यावसायिक परिसर
द्वितीय तल, सेक्टर–27, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
ई–मेल : E-mail: sanskriti.rajbhasha@gmail.com, दूरभाष:0771-2995629

क्र. 1638 /सं.रा./संस्कृति/23 रायपुर, दिनांक 10/9/2023

प्रति,

आयुक्त
जनसम्पर्क संचालनालय,
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर,
अटल नगर, छत्तीसगढ़

विषय : "अर्थाभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों/छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, 2023 हेतु विज्ञप्ति के प्रकाशन बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संस्कृति विभाग के अंतर्गत राज्य के होनहार किंतु अर्थाभावग्रस्त युवा कलाकारों को उच्च प्रशिक्षण/शिक्षा के लिए राज्य के ऐसे छात्र/छात्राएं जो संगीत, नृत्य, प्रदर्शनकारी कला विधा में शिक्षा/उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था में अध्ययनरत्, गुरूशिष्य परंपरा के तहत् पारंपरिक लोक कलाएं सीखने वाले बच्चों तथा संस्कृति संचालनालय द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित कलाकारों/छात्रों को महत्वपूर्ण विधा के अनुरूप मासिक छात्रवृत्ति प्रोत्साहन के रूप में प्रदान करने के उद्देश्य से **"अर्थाभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों/छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, 2023"** हेतु प्रविष्टियाँ आमंत्रित करने हेतु कृपया संलग्न विज्ञप्ति **प्रदेश स्तरीय प्रमुख पांच दैनिक समाचार-पत्रों** में शीघ्र प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- विज्ञप्ति 5 प्रतियों में।

संचालक
संस्कृति एवं राजभाषा

पृ.क्र. /सं.रा./संस्कृति/23 रायपुर, दिनांक / /2023

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय संस्कृति मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संचालक
संस्कृति एवं राजभाषा

संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, व्यावसायिक परिसर
द्वितीय तल, सेक्टर–27, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
ई–मेल : E-mail: sanskriti.rajbhasha@gmail.com, दूरभाष:0771-2995629

//प्रेस विज्ञप्ति//

दिनांक 10.08.2023

"अर्थाभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों/छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, 2023"

राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य के होनहार किंतु अर्थाभावग्रस्त युवा कलाकारों को उच्च प्रशिक्षण/शिक्षा के लिए राज्य के ऐसे छात्र/छात्राएं जो संगीत, नृत्य, प्रदर्शनकारी कला विधा में शिक्षा/उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था में अध्ययनरत्, गुरूशिष्य परंपरा के तहत् पारंपरिक लोक कलाएं सीखने वाले बच्चों तथा संस्कृति संचालनालय द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित कलाकारों/छात्रों को महत्वपूर्ण विधा के अनुरूप मासिक छात्रवृत्ति प्रोत्साहन के रूप में प्रदान करने के उद्देश्य से **"अर्थाभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों/छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना"** स्थापित किया गया है, जिसके लिए प्रविष्टियाँ/आवश्यक दस्तावेज आमंत्रित है।

1. छात्रवृत्ति प्रोत्साहन के लिए निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रविष्टियां पंजीकृत डाक के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

2. प्रदर्शनकाली कला/विधा एवं उप विधाएं :-

क्रमांक	विधाएं	उप विधाएं
01	लोक/पारंपरिक जनजातीय कलाएं	छत्तीसगढ़ की समस्त पारंपरिक जनजातीय और लोक नाट्य, नृत्य, गीत/संगीत, खेल, चंदैनी, भरथरी, गोपी-चंदा, पंडवानी, घोटुल पाटा, धनकुल जगार तथा छत्तीसगढ़ की अन्य पारंपरिक लोक जनजातीय गाथाएं, वाद्य, पाक कला, सौंदर्यकला, गायन, वादन आदि।
02	शास्त्रीय संगीत	हिन्दुस्तानी (गायन/वादन) एवं कर्नाटिक (गायन/वादन) आदि।
03	शास्त्रीय नृत्य तथा नृत्य संगीत	भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहनीअट्टम, ओड़िसी, मणीपुरी, कथकली, ओड़िसी नृत्य और संगीत आदि।
04	रंगमंच	हिन्दी और छत्तीसगढ़ी नाट्य मंचन, नाचा, भतरा नाट तथा अन्य लोक जनजातीय नाट्य विधा सहित।
05	दृश्य कला	ग्राफिक्स, मूर्तिकला, पेंटिंग, फोटोग्राफी, मृद्भाण्ड तथा मृणकला (Ceramics) छत्तीसगढ़ के विविध लोक जनजातीय परंपराओं के चित्रांकन की विधा आदि।
06	सुगम शास्त्रीय संगीत	ठुमरी, दादरा, टप्पा आदि कव्वाली, गजल आदि।

3. पात्रता/सामान्य शर्तें :-

- छत्तीसगढ़ के वास्तिवक निवासी हो, आवेदक की आयु 15 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो।
- आवेदक अथवा उनके परिवार की वार्षिक आय रूपये 72,000/- से अधिक न हो।
- चिन्हारी पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य है एवं विधा, निर्धारण वार्षिक प्रोत्साहन न्यूनतम राशि 5,000/- से अधिकतम राशि 10,000/- होगी तथा प्रोत्साहन राशि डिमांड ड्राफ्ट/ई-पेमेंट के माध्यम से देय होगा।
- प्रोत्साहन योजना से संवंधित जानकारी विभागीय वेबसाईट WWW.cgculture.in पर भी देखी जा सकती है।
- प्रविष्टियां/प्रस्ताव प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25.09.2023 है तथा प्रविष्टियों के लिए लिफाफे में विषय **"अर्थाभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों/छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, 2023"** स्पष्ट अंकित किया जावे।
- समिति का निर्णय अंतिम होगा एवं प्रस्तुत की गई प्रविष्टियों के संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

संचालक
संस्कृति एवं राजभाषा

प्रपत्र परिशिष्ट - एक

छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग की योजना अन्तर्गत अर्थाभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रपत्र

पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएं

1. नाम (बड़े अक्षरों में) : ....
2. पिता/पति/पालक का नाम : ....
3. राज्य : ....
4. जन्म तिथि : दिनांक.................माह.............वर्ष...........

   01 अप्रैल, को आयु : वर्ष..............माह.............दिवस............
5. वर्तमान व्यवसाय और आय : व्यवसाय...................रूपये.............प्रतिमाह
6. डाक का पता : ....

   जिला : .... फोन नं....................

   राज्य : ....
7. क्या आवेदक भारत सरकार अथवा किसी अन्य संस्थाओं से कोई छात्रवृत्ति/फेलोशिप/सम्मान/पुरस्कार आदि प्राप्त हैं। यदि हां तो निम्नानुसार उसकी सूची प्रस्तुत करें।

वर्ष	प्राप्त सम्मान, छात्रवृत्ति, फेलोशिप आदि	संस्था, बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय का नाम

8. कला क्षेत्र/विधा का नाम जिसके लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण हेतु/छात्रवृत्ति चाही गई है। :....................................
9. वाद्य संगीत के प्रकरणों में वाद्य यंत्र का नाम :..................................
10. अर्हताएं :

    (क) शैक्षणिक अर्हताएं :..

    (ख) संबंधित क्षेत्र/विधा में अर्हता :..

    (ग) अन्य विषय/उपलब्धियां/अनुभव आदि यदि कोई हो तो :................................

    (इस संबंध में संक्षिप्त आलेख, जो दो पृष्ठ से अधिक न हो संलग्न करें)

11. संस्था अथवा गुरू का नाम जिनके अन्तर्गत/मार्गदर्शन एवं सानिध्य में आवेदक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं : ....

12. संस्था अथवा गुरू का नाम एवं पता जिनके अन्तर्गत/मार्गदर्शन एवं सानिध्य में आवेदक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं (कृपया संबंधित संस्था/गुरू का सहमति पत्र संलग्न करें) : ....

13. प्रशिक्षण का प्रस्तावित कार्यक्रम : ....

14. दो ऐसे ख्यातिप्राप्त विद्वानों/विशेषज्ञों/प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा संस्थाओं के नाम एवं पते जो आवेदक के प्रमाण पत्रों/प्रत्यक्ष-पत्रों तथा अन्य दस्तावेजों को सत्यापित करेंगे। : ....

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा की गई उक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है।

दिनांक : / /

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

टीप :-

1. प्रत्येक कालम में जानकारी स्पष्ट तथा पूर्ण की जानी चाहिए।
2. आवेदन पत्रों के साथ अपेक्षित प्रमाण-पत्र तथा अन्य दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी चाहिए।
3. नियमानुसार आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. आवेदन पर आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व, संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को भेजा जाना चाहिए।
5. अपूर्ण/अधूरे आवेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

भाग - दो

वर्तमान संस्था/गुरू से प्राप्त प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती.. पिता/पति/पालक...ने इस संस्था में/मेरे सानिध्य में रहते हुए वर्ष.............................से ....तक प्रशिक्षण प्राप्त किया/प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें हैं तथा साथ ही यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत संबंधित क्षेत्र/विधा में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अभ्यार्थी में असीम क्षमताएं एवं प्रतिभाएं विद्यमान हैं।

मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं।

संस्था प्रमुख/गुरू
के हस्ताक्षर तथा पूर्ण पता

(नोटः संस्था प्रमुख/गुरूओं से निवेदन है कि वे आवेदक को यह प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदक ने कम से कम पांच वर्ष तक की प्रशिक्षणावधि पूर्ण कर ली है। यह आवश्यक नहीं कि आवेदक एक ही संस्था/गुरू के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त हो)

अनुदेश : आवेदन पत्र के साथ निम्नालिखित दस्तावेज संलग्न होना चाहिए -

(1) शैक्षणिक अर्हता, अनुभव आदि की पुष्टी हेतु प्राप्त उपाधी, पत्रोपाधि (डिप्लोमा), तथा प्रमाण-पत्रों, प्रशस्ती पत्रों आदि की सत्यापित छाया प्रतिलिपि;

(2) आयु प्रमाण-पत्र अथवा मैट्रिक/10+2 अथवा समकक्ष प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रतिलिपि (जन्मपत्री को छोड़कर);

(3) हाल ही में लिए गए पासपोर्ट साईज की एक फोटो, शास्त्रीय नृत्य के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए वेशभूषा एवं विभिन्न नृत्य मुद्राओं के साथ लिए गए फुल साईज के तीन अतिरिक्त फोटोग्राफ;

(4) पेंटिंग, मूर्तिकला तथा व्यावहारिक कलाओं के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन के साथ उत्कृष्ट स्तर के मूल कला कृतियों की सक्षम प्रधिकारी द्वारा सत्यापित छाया प्रतिलिपि संलग्न होना चाहिए तथा संगीत के लिए आवेदन के साथ आवेदक द्वारा उत्कृष्ट प्रस्तुति की एक ऑडियों रिकार्डिंग भेजा जाना चाहिये। ललित कला जैसे दृश्य कला के लिए न्यूनतम अर्हता स्नातक अथवा समकक्ष उपाधी आवश्यक है;

(5) पूर्णरूप से भरे गये आवेदन पत्र संचालक/आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व, संचालनालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन पत्रों अथवा निर्धारत प्रपत्र से भिन्न आवेदन प्रपत्र अथवा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं. किया जायेगा;

(6) यदि आवेदक एक से अधिक क्षेत्रों के लिए आवेदन करना चाहता है तो इसके लिए पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये;

(7) प्रेषित आवेदन पत्रों अथवा अन्य सहपत्रों/दस्तावेजों की वापसी के लिए आवेदक द्वारा किए गए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

(8) अंतिम चयन उपरान्त चयन परिणाम की जानकारी केवल चयनित उम्मीदवारों को डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी;

(9) पते में परिवर्तन होने पर जानकारी तत्काल विभाग को भेजा जाना चाहिए। इसके लिए उस विषय का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए जिसके लिए आवेदन भेजा गया है;

(10) उक्त नियमों में यथोचित संशोधन/परिवर्तन का अधिकार शासन को होगा;

(11) कोई भी अन्य पत्राचार के लिए उम्मीदवारों को निम्न जानकारी देना अपेक्षित है -

- (क) छात्रवृत्ति योजना का नाम;
- (ख) उम्मीदवार का नाम स्पष्ट अक्षरों में;
- (ग) प्रशिक्षण का विषय/विधा का नाम;
- (घ) पंजीयन क्रमांक, यदि उम्मीदवार को प्रेषित किया गया हो।

कला क्षेत्रों/विधाओं की सूची.-

क्र.	विधाएं		उप विधाएं
01	शास्त्रीय संगीत	:	हिन्दुस्तानी (गायन/वादन) एवं कर्नाटिक (गायन/वादन) आदि।
02	नृत्य तथा नृत्य संगीत	:	भारत नाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहनीअट्टम, ओडिसी, मनिपुरी, कथकली, छाऊ, गोडिया नृत्य, ओडिसी संगीत, छाऊ संगीत एव मनिपुरी संगीत आदि।
03	रंगमंच	:	-
04	दृश्य कला	:	ग्राफिक्स, मूर्तिकला, पेंटिंग, फोटोग्राफी, मृद्भाण्ड तथा मृत्कला (Ceramics) आदि।
05	लोक/पारंपरिक जनजातीय कलाएं	:	पपेट्टरी, लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोक गीत/संगीत आदि।
06	सुगम शास्त्रीय संगीत	:	ठुमरी, दादरा, टप्पा आदि, कव्वाली, गज़ल आदि।

परिशिष्ट - दो
(नियम - 6)

छ.ग. शासन, संस्कृति विभाग (संचालनालय) की अर्थाभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आय के सत्यापन के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ-पत्र का प्रपत्र

शपथ-पत्र

मैं (नाम)...आत्मज...................................आयु.... ....निवासी...एतद् द्वारा शपथपूर्वक निम्नानुसार कथन करता हूँ कि,

1. वर्तमान में मुझे/मेरे पालक की निम्नलिखित स्त्रोंतों से कुल रू. .... मासिक आमदनी होती है।

स्त्रोत (1)	आमदनी (2)
(1) चल/अंचल संपत्ति से	
(2) अन्य	

2. मुझ पर/मेरे पालक पर पूर्णतया आश्रित सदस्यों की संख्या..............है जिनका विवरण निम्नानुसार है -

क्रमांक (1)	नाम (2)	आयु (3)	संबंध (4)	व्यवसाय (5)	आमदनी तथा उनके स्त्रोत (6)

3. मुझे योजना के वर्तमान नियमों के अंतर्गत सहायता की पात्रता है।
4. यदि कोई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो उसके आधार पर मुझे दी गई छात्रवृत्ति की राशि शासन द्वारा मुझसे वसूली योग्य होगी।

....

(शपथगृहीता)

<u>सत्यापन</u>

मैं.. निवासी ....
........................उपरोक्त शपथगृहीता एतद् द्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ-पत्र के पैरा 1 से 4 में दी गई जानकारी मेरे निजी ज्ञान से पूर्ण एवं सत्य है।

उपर्युक्त शपथ-पत्र दिनांक....................को.................. (स्थान) में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

....
(शपथगृहीता)

परिशिष्ट - तीन
(नियम-6)

संचालनालय (संस्कृति विभाग) की अर्थाभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आय का सत्यापन कलेक्टर द्वारा किए जाने का प्रपत्र

नाम.......................................पिता/पति...................................आयु....

...................पता...

....1. वर्तमान में मेरे स्वयं/मेरे पालक की वर्तमान आमदनी तथा आमदनी के साधन -

स्त्रोत (1)	आमदनी (2)
(1) चल/अचल सम्पत्ति से	
(2) अन्य	

2. मेरे स्वयं/पालक पर पूर्णतया आश्रित सदस्यों की संख्या :.............................

3. मेरे स्वयं/पालक पर पूर्णतया आश्रित सदस्यों का विवरण :.............................

क्रमांक (1)	नाम (2)	आयु (3)	संबंध (4)	व्यवसाय (5)	आमदनी तथा उनके स्त्रोत (6)

4. मेरे/पालक के आश्रित सदस्यों के समस्त साधनों से होने वाली आमदनी (क्र. 1 तथा 3 में दर्शायी आमदनी का योग) :.............................
....

....
आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा - पत्र

मैं (नाम).....................................पिता/पति.................................निवासी..
..............................एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त प्रपत्र के पैरा 1 से 4 में दी गई जानकारी मेरे निजी ज्ञान से पूर्ण और सत्य है। अपूर्ण अथवा असत्य जानकारी के आधार पर मुझे प्रदत्त छात्रवृत्ति की राशि शासन द्वारा मुझसे वसूली योग्य होगी।

स्थान :

दिनांक : / /

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम व पता ....

कलेक्टर का प्रमाणीकरण

श्री...पिता/पति...................................निवासी..
.... द्वारा की गई उपर्युक्त जानकारी का मेरे द्वारा सत्यापन किया गया है। आवेदक को समस्त स्त्रोंतो से कुल आमदनी......................है।

स्थान :

दिनांक : / /

हस्ताक्षर ....

पद मुद्रा ....

अनुलग्नक-एक

प्रपत्र
(नियम-7(1))

1. लेखक का नाम :..
2. पूरा पंता (पिन कोड सहित) :..
3. दूरभाष/फैक्स संख्या :..
4. क्या आलेख किसी अन्य प्रतियोगिता में भेजा गया था? यदि हां तो कृपया पूरा ब्यौरा दें;
   (क) किस वर्ष में भेजी गई :..
   (ख) किसे भेजी गई (पूरा पता) :..
   (ग) क्या कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ? :..
   यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा दें।
5. क्या इस पुरस्कार योजना के अन्तर्गत कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरा दें -
   (1) विषय का नाम जिस पर आलेख भेजा गया था :..
   (2) वर्ष जिसमें पुरस्कार प्राप्त हुआ :..
   (3) प्राप्त पुरस्कार की राशि :..
6. मैं यह प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि
   (1) मैं छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी हूं
   (2) आलेख मेरे द्वारा मूल रूप में हिन्दी में लिखी गई है
   (3) मेरा यह आलेख मौलिक है तथा किसी अन्य पत्र पत्रिकाओं में पूर्व प्रकाशित नहीं है।

मैं वचन देता हूं/देती हूं कि मैं इस लेखन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत निर्देशित विनियम के उपबंधों का पालन करूंगा/करूंगी।

स्थान :............... **लेखक के हस्ताक्षर** ....

दिनांक : / /

नोट : इस प्रपत्र को उचित प्रकार भरकर आलेख की तीन प्रतियों सहित संचालक/आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व संचालनालय, महन्त घासीदास संग्रहालय परिसर, छ.ग., रायपुर 942 001 को भेजा जाए।